राजस्थान सरकार
कार्यालय विशिष्ट शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकःविशास/विधि/2024/105 जयपुर, दिनांक 07.06.2024

–:: आदेश ::–

विकसित राजस्थान–2047 के संबंध में विधि विभाग को गृह विभाग के सैक्टर में शामिल किया गया है। विधि विभाग के स्तर पर प्रोग्राम प्रबंधन ईकाई (पी.एम.यू.) का गठन किया जा चुका है। विकसित राजस्थान–2047 के तहत विजन को लेकर मसौदा आवश्यक रूप से दिनांक 12.06.2024 तक तैयार किया जाना है। अतः एतद्द्वारा राजस्थान के समस्त जिला न्यायालयों में नियुक्त लोक अभियोजक/अति. लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक को सैक्टर समन्वयक नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि विषयान्तर्गत विजन के संबंध में अन्य संबंधित से वार्ता कर अपना विजन व विचार आवश्यक रूप से लिखित में दिनांक 11.06.2024 तक निम्न ई. मेल आई.डी. पर भिजवावें। इसे प्राथमिकता देवें।

Gmail ID :- **law.dept@rajasthan.gov.in**

(योगेश शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि
एवं संयुक्त विधि परामर्शी तथा
नोडल ऑफिसर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विधि सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग
2. समस्त लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक
3. समस्त प्रशासनिक विभाग में पदस्थापित विधि सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी................ को प्रेषित कर लेख है कि विषयगत अपने विचार आवश्यक रूप से दिनांक 11.06.2024 तक उपर वर्णित मेल–आईडी अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रेषित करें।

(योगेश शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि
एवं संयुक्त विधि परामर्शी तथा
नोडल ऑफिसर